

Govt. of Bihar

Office of Fire Station Officer, Samastipur

FIRE SAFETY CERTIFICATE

Ref. No. - .....78.....

Date - 29/02/2020

Certified that GURUKUL SR. SEC. SCHOOL at at-Dadpur, P.O.-Rahmatpur Chaknoor, Distt.-Samastipur, Bihar – 848101 Under Gurukul Trust, SAMASTIPUR, complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with Govt. of Bihar fire Service Rules, and verified by the officers concerned of fire Service on ..... in the presence of SAURABH KUMAR CHAUDHARY” CHAIRMAN and that the building/premises is fit for occupancy class up to SR. SEC. LEVEL with effect from 29.02.2020. for a period of 1.00..... year in accordance with rule and subject to compliance of the conditions. Issued on 29.02.2020 at Samastipur.

Signature with seal

Name Tapeshwar Singh

Designation Station Officer  
Samastipur

To,

Saurabh Kumar Chaudhary  
“CHAIRMAN”  
GURUKUL SR. SEC. SCHOOL  
AT :- Gokhul Vihar, Malkalipur  
P.O. – Vidyapatnagar  
Distt – Samastipur, BIHAR -848503

## प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि व्यवस्थापक blumkud...S.R. Sec, School  
Dadpur Chaknoor, Samastipur द्वारा जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया  
प्रोटेबुल अग्निशामक यंत्रों को जाँचोपरान्त उपर्युक्त एवं क्रियाशील पाया  
गया। इस संदर्भ में पत्र निर्गत तिथि से 12/2/2020 के लिए  
अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के साथ निर्गत की जाती है कि :-  
व्यवस्थापक :-

1. प्रोटेबुल अग्निशामक यंत्रों की अपने प्रतिष्ठान में निर्देशित स्थानों पर रखने तथा उनका साधारण 2190/1997 के अनुरूप करेंगे जिससे उनमें तकनीकी खराबी न आये। साधारण की कमी के कारण यंत्रों में आनेवाली तकनीकी खराबी की जिम्मेवारी व्यवस्थापक की होगी।
2. कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों को यंत्रों के संचालन विधि से अवगत करा देंगे, जिससे आग के प्रथम स्टेज पर ही शमन किया जा सके।
3. वर्ष में कम से कम दो बार मौकड़ील करायेंगे।
4. नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया पार्ट-4 फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के प्रावधानों के अनुसार पानी का पर्याप्त भंडारण हेतु स्टैटिक टैंक, वार्ड हाईडेन्ट एवं अन्य व्यवस्था यथाशीघ्र सुनिश्चित करेंगे।
5. वर्ष में एक बार अग्निशमन व्यूथा की जाँच इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. नोट :- जाँच के समय दी गई सलाह पत्र का अनुपालन में कमी होने पर प्रमाण पत्र रद्द की जा सकती है।

पत्रांक.....78...../नि०...../सम०, दिनांक 29/02/2020

विश्वासभाजन

कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, समस्तीपुर।

Fire Station Officer, अग्निशामालय पदाधिकारी  
Samastipur

29/2/2020  
Fire Station Officer, समस्तीपुर।  
Samastipur

प्रतिलिपि :- व्यवस्थापक.....  
..... के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

विश्वासभाजन

अग्निशामालय पदाधिकारी  
समस्तीपुर।